तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू केशर देव बनाम तहसीलदार झुन्झुनू मुकदमा नम्बरः– 98/2019 (प्रार्थना–पत्र खाता दुरूस्ती रा.भू राजस्व अधिनियम 1956की धारा 136)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
29.11.2019	आज यह प्रार्थना पत्र आवेदक का बाद जांच तहसीलदार झुन्झुनू के यहॉ से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम इस्लामपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 खाता संख्या 112 में गोदुराम पुत्र जैसा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जो गलत है जबकि आवेदक के पिता का सही नाम गोरूराम पुत्र जैसाराम है। जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने का निवेदन किया गया है। प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदारसे करवाईगई ।तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्टपत्रक्रमांक/भू0अ0/2019/2994 दिनांक 19.09.2019 के द्वारा पेश की है कि जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2039 से 2042 में आवेदक के पिता का सही नाम गोरूराम पि0 जैसाराम है जो दुरूस्त करने की अभिशंषा सहित अपनी रिपोर्ट पेश की गई है। हमने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दस्तावेजातों व रिपोर्ट तहसीलदार पर ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 3034 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2039 से 2042 के अनुसार आवेदक के पिता का नाम गोरू पुत्र जैसा दर्ज रिकार्ड होना अंकित है। परन्तु आगे की जमाबन्दीयों में भूलवंश से गोदु पुत्र जैसा दर्ज होना जाहिर है जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 व 2039 से 2042 एवं हस्व रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थी (आवेदक) का यह प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरूस्त स्वीकार किया जाकर अन्तर्गत धारा 136 भू0राज0 अधिनियम 1956 के अनुसरण में ग्राम इस्लामपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता संख्या 112 में गोदु पुत्र जैसा के स्थान पर गोरू पि0 जैसा दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है।तहसीलदार झुन्झुनू को आदेश प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 29/11/19 उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Yadav
Date: 2019.12.05 16:53:24 IST
Reason: SelfAttested